न्यायालय समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा
नीलाम–पत्र अपील वाद संख्या–99/2002–03

सिनियर रेंज ऑफिसर
बिस्कोमान, दरभंगा — बनाम — सदानन्द चौधरी

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
18/12/2018	**आदेश** विद्वान् सरकारी अधिवक्ता एवं विपक्षी के विद्वान् अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। प्रस्तुत वाद मूलतः जिला सहकारिता पदाधिकारी –सह– नीलाम पत्र पदाधिकारी, दरभंगा द्वारा नीलाम पत्र वाद सं0–171/2000–01 में पारित आदेश दिनांक 20.08.2002 के विरूद्ध सिनियर रेंज ऑफिसर बिस्कोमान द्वारा दायर किया गया है। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत् वाद में विपक्षी सदानन्द चौधरी जो सहायक भंडार प्रबंधक है (सम्प्रति सेवानिवृत्त) से अंकेक्षण प्रतिवेदन के अनुसार कुल मो0 8,41,739.66 रुपये वसूली हेतु जिला सहकारिता पदाधिकारी –सह– जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी, दरभंगा के न्यायालय में वाद सं0–171/2000–01 संचालित की गयी, लेकिन आवेदक/सर्टीफीकेट धारी का वाद में अभिरूचि नहीं रहने के कारण वाद को खारिज किया गया है। अभिलेख अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रश्नगत् वाद में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा भी क्रमशः तीन आदेश पारित किये गये हैं यथा–सी0डब्लू0जे0सी0 नं0–1643/04 पारित आदेश दिनांक 20.06.2005, सी0डब्लू0जे0सी0 नं0–3510/06 पारित आदेश दिनांक 15.02.2008 एवं सी0डब्लू0जे0सी0 नं0–3739/09 पारित आदेश दिनांक 16.02.2010। आदेश फलक से यह भी अवलोकित है कि प्रश्नगत् वाद की वर्तमान कार्यवाही माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–3739/09 में पारित आदेश दिनांक 16.02.2010 के अनुपालन में पुनः प्रारंभ की गयी है। माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में संबंधित पक्षकार को सूचना निर्गत की गयी है। आदेश फलक में अंकित आदेश दिनांक 02.08.2013 में स्पष्टतः प्रबंध निदेशक, बिस्कोमान, बिहार पटना को इस कार्यवाही के अधियाची की ओर से पक्ष रखने हेतु अनुरोध पत्र निर्गत करने का निदेश दिया गया है। उक्त के आलोक में अधियाची की ओर से प्रभारी पदाधिकारी (विधि), बिहार राज्य सहयोग क्रय–विक्रय संघ समिति (बिस्कोमान), पटना के पत्रांक 219 दिनांक 23.06.2014 से एक अधिवक्ता नियुक्त हुए हैं। बावजूद इसके अधियाची की ओर से वाद में उचित पैरवी नहीं हुई है। उक्त के परिदृश्य में आदेश फलक में पारित आदेश दिनांक 22.06.2018 से पुनः प्रबंध निदेशक बिस्कोमान को सूचित करने का निदेश दिया गया है, लेकिन उचित पैरवी के अभाव में अधियाची को वंचित किया गया है। विपक्षी के विद्वान् अधिवक्ता का संक्षेप में कथन है कि प्रश्नगत्	

वाद में विपक्षी की ओर से दिनांक 10.08.2018 को प्रत्युत्तर दाखिल किया गया है। दाखिल प्रत्युत्तर के अनुरूप विपक्षी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अंकक्षेण प्रतिवेदन के फलस्वरूप विपक्षी के विरूद्ध एक अपराधिक मुकदमा जी0आर0 1495/1989–टी0आर0 नं0–2635/2018 दायर किया गया। उक्त वाद में पारित आदेश दिनांक 07.05.2018 से विपक्षी को दोषमुक्त किया गया है। अतः अधियाची द्वारा दायर वाद आवेदन को निरस्त करने की कृपा की जाय।

विद्वान् सरकारी अधिवक्ता का कथन है कि अभिलेख पर संधारित तथ्य के अवलोकन से स्पष्ट है कि टी0आर0 सं0–2635/2018 में पारित आदेश दिनांक 07.05.2018 से विपक्षी को दोषमुक्त किया गया है। अतः विधि सम्मत् निर्णय लिया जा सकता है।

विद्वान् सरकारी अधिवक्ता एवं विपक्षी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा किये गये बहस के सामान्य अनुक्रम में अभिलेख का गहन अवलोकन किया। अभिलेख पर संधारित न्यायालय संयुक्त निबंधन सहयोग समितियाँ (मुख्यालय) बिहार पटना द्वारा एवार्ड केस नं0–108/90 में पारित आदेश दिनांक 20.08.1997 एवं उसके फलस्वरूप सर्टिफीकेट देनदार/विपक्षी को निर्गत नोटिस एवं उत्पन्न सर्टिफीकेट केस सं0–171/2000–2001 में विपक्षी के द्वारा अधिनियम की धारा सं0–9 के आलोक में दाखिल प्रत्युत्तर का अवलोकन किया। अंकेक्षण प्रतिवेदन से प्रतिवेदित है कि विपक्षी सदानन्द चौधरी संबंधित अवधि में प्रभारी सहायक भंडार प्रबंधक थे एवं उनके द्वारा बरती गयी अनियमितता के फलस्वरूप उनके विरूद्ध मो0 841739/- रुपये के वसूली हेतु एक सर्टिफीकेट वाद सं0–171/2000–2001 दाखिल किया गया। उक्त सर्टिफीकेट वाद में अधिनियम की धारा–9 के आलोक में दाखिल प्रत्युत्तर में विपक्षी के द्वारा यह अभिवचन किया गया है कि सर्टिफीकेट वाद काल बाधित एवं अपोषणीय है। विपक्षी के द्वारा कथित अनियमितता के विरूद्ध एक अपराधिक वाद माननीय न्यायालय में लंबित है। उनके द्वारा यह भी अंकित किया गया है कि एक कारण विशेष हेतु दो अलग–अलग वाद दायर नहीं किया जा सकता है। उनका यह भी कथन है कि उनके द्वारा अंकेक्षण प्रतिवेदन में इनभेंटरी के परिपेक्ष में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। कथित अनियमितता काल्पनिक एवं वास्तविक तथ्य से भिन्न तत्कालीन पदाधिकारी द्वारा रचित है। वर्त्तमान वाद में विपक्षी द्वारा दाखिल प्रत्युत्तर दिनांक 10.08.2018 में यह प्रतिवेदित है कि माननीय न्यायालय द्वारा टी0आर0 सं0–2655/2018 में पारित आदेश दिनांक 07.05.2018 से विपक्षी को बरी किया गया है। अभिलेख अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अंकेक्षण प्रतिवेदन के आधार पर विपक्षी के विरूद्ध कुल 11 मदों पर बरती गयी अनियमितता के आलोक में विपक्षी से स्पष्टीकरण की पृच्छा की गयी है। पंचाट आदेश दिनांक 20.08.97 से यह स्पष्ट है कि विपक्षी अपने कारण पृच्छा में लिखा है कि दिनाक 05.07.89 को विशेष पदाधिकारी निगरानी एवं रेंज ऑफिसर, दरभंगा उन्हें विस्कोमान

डी0पी0 का पंजी जमा करने को कहा था किन्तु वे जमा नहीं कर सके। दिनांक 19.07.89 एवं 20.07.89 को उनके अनुपस्थिति में ही गोदाम का सील तोड़ा गया और इन्भेन्टरी लिस्ट बनाया गया। उपरोक्त अभिलेख आधारित तथ्य से यह स्पष्ट है कि विपक्षी का उपरोक्त कृत्य उनके अनुशासनीय एवं साक्ष्य को विलोपित करने का स्पष्ट द्योतक है। अधिनियम की धारा–9 के तहत दाखिल प्रत्युत्तर एवं वर्त्तमान कार्यवाही में दाखिल प्रत्युत्तर से यह अवलोकित है कि अंकेक्षण प्रतिवेदन में वसूली योग्य राशि के बिन्दु पर विपक्षी स्पष्टतः विफल रहे हैं। अतः संबंधित राशि मो0 841739/- रुपये की वसूली हेतु आवश्यक कार्रवाई अपेक्षित है।

अतः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–3779/2009 दिनांक 16.02.10 में पारित आदेश के आलोक में उक्त विवेचना के साथ इस वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

आदेश की प्रति सभी संबंधित को भेजें। साथ ही निम्न न्यायालय का अभिलेख आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु जिला निलाम पत्र पदाधिकारी, दरभंगा को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा।

19/12/18
समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा।